# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 73/2018 (RCMS No. 2018/00118)

**प्रार्थीया**

1. गोगादेवी पुत्री स्व. भागीरथराम जाति जाट निवासी भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. हीराराम पुत्र सुखाराम जाति जाट निवासी ग्राम भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)
2. उपं पंजीयक कुचामनसिटी जिला नागौर (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

**प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा.212 राज.काश्त. अधिनियम 1955**

उपस्थित – श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता प्राथी की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्राथी सं.1 की ओर से।

**आदेश**

दिनॉक :– 12-3-2021

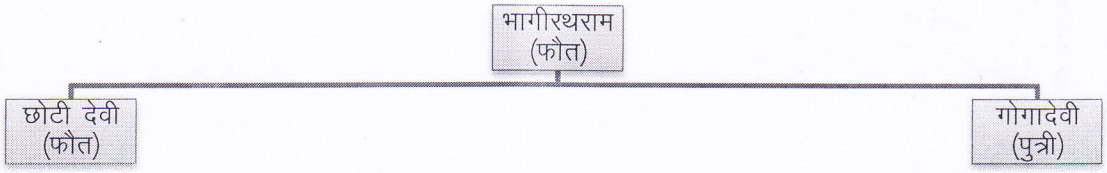

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि उपर्युक्त उनवान का राजस्व वाद मजबूत बिनाय पर आधारित अदालत हाजा में जैरतजबीज है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की सम्भावना है, भागीरथराम का सजरा खानदान निम्नवत है :–




उपरोक्त वारिसान के अलावा भागीरथराम के कोई जायन्दा संतान नही है एवं न ही अपने जीवनकाल में भागीरथराम ने किसी को गोद लिया है, प्रार्थीया के पिता के मृत्यु के उपरान्त ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83, 626/148 में खातेदारी का अंकन केवल मात्र प्रार्थीया की माता छोटी देवी पत्नी भागीरथराम के नाम कर दिया गया, जिसमें राजस्व अधिकारियों ने मिलीभगत कर प्रार्थीया को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया, प्रार्थीया की माता छोटी देवी काफी भोली एवं वृद्ध औरत होने का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 1 हीराराम पुत्र सुखाराम ने एक गोदनामा दिनॉक 13.02.2002 को अपने पक्ष में निष्पादन करवा लिया जिसको अप्रार्थी सं. 1 ने छुपाये रखा एवं आज दिन तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी तथा अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया के पिता की सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि अपेन नाम करवाकर बेचान करने पर उतारू है, अप्रार्थी स. 1 दिनॉक 5.4.2018 को प्रार्थीया के पास आया और आकर कहा की तुम्हारे पूरी जमीन खातेदारी में चढ़वा देते है तुम्हे मेरे साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:21:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उप पंजियक कार्यालय में चलना होगा, प्रार्थीया अनपढ़ एवं भोली–भाली होने के कारण अप्रार्थी की बातों में आकर उप पंजियन कार्यालय में आ गई एव यहॉ पर अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया के पक्ष में उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बरान का हक त्याग पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 344 पृष्ठ सं. 47 क्र.सं. 201803471101246 दिनॉक 05.04.18 पर पंजीबद्व करवा लिया जो की यह अहस्तान्तरणीय दस्तावेज है जो कभी खारिज निरस्तनीय है, प्रार्थीया ने दिनॉक 6.4.2018 को नकल हक त्याग प्राप्त की तो प्रार्थीया को पता चला की अप्रार्थी सं. 1 ने धोखे से गोद पुत्र गोदनामा के जरिये हक त्याग अपने नाम करवाकर उसकी उपरोक्त पुश्तैनी भूमि को हड़प करने की नियत से आमदा है, अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रार्थीया की भूमि को बेचान करने में सफल हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना असंभव है, प्रार्थीया अपनी भूमि खसरा नम्बर 625/83, 626/148 का उत्तराधिकारी की हैसियत से काबिज काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया का प्रमाणित है, प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जाये की ग्राम भंवरपुरा पटवार हल्का उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में खसरा नम्बर 625/83 रकबा 1.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 626/148 रकबा 1.74 हैक्टर कुल रकबा 3.69 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार से दखल अंदाजी न करे, न ही अपने एजेण्टो से करवाये, अप्रार्थी सं. 3 रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखं तथा अप्रार्थी सं. 2 खसरा नम्बर 625/83, 626/148 में किसी का बेचान, बक्शीश रहन स्वीकार नही करे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 व 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब दिनॉक 04.09.2019 को बन्द किया गया, अप्रार्थी संख्या 01 ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उक्त आदेश की निगरानी प्रस्तुत की जिसका निस्तारण दिनॉक 03.03.2020 को होकर पांच सौ रूपये कोस्ट पर अप्रार्थी सं. 1 को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, अप्रार्थी सं. 1 ने दिनॉक 12.03.2020 को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल उपलब्ध है, जवाब में अप्रार्थी संख्या एक ने कथन किया है कि प्रार्थीया ने सजरा खानदान गलत बताया है जबकि [illegible] जीवनकाल में ही अप्रार्थी सं. एक उत्तरदाता को गोदी पुत्र रख लिया था [illegible] 4–5 वर्ष का था तब से ही स्व. भागीरथराम व छोटी देवी [illegible] साथ रहता आ रहा है, सजरा खानदान निम्नवत है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:21:36 IST
Reason: SelfAttested

भागी[illegible]म (फौत)

- छोटी देवी (फौत)
- हीराराम (गोदी पुत्र)
- गोगादेवी (पुत्री)

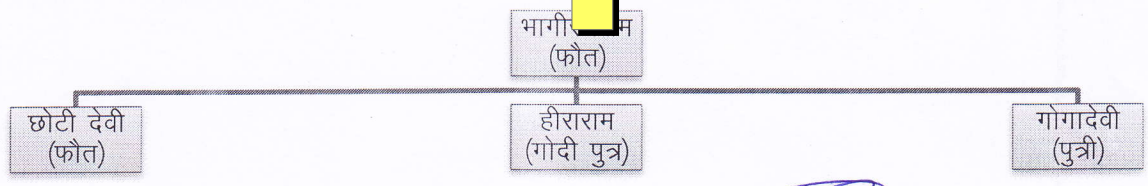

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

नामान्तरकरण की कार्यवाही नियमानुसार अममल में लाई गई है जो सही एवं दुरूस्त है, स्व. भागीरथराम अप्रार्थी सं. 1 के सगे काकाजी थे के पुत्र सन्तान नही होने से उसका लालन–पालन स्व. भागीरथराम जी व गोदी माता स्व. छोटी देवी ने ही किया व उसका विवाह भी स्व. भागीरथराम जे ने ही करवाया था तब से वह ही सेवा–सुश्रुषा करता आ रहा था व उनके स्वर्गवास हो जाने पर हिन्दू रीति रिवाज अनुसार उनकी अस्थियॉ हरिद्वार में विसर्जित भी अप्रार्थी उत्तरदाता ही करके आया था व पिण्डदान व अन्य क्रियाकर्म जो भी हिन्दू रिती रिवाज अनुसार किये जाते रहे है वह पूरे निर्वाह किये व पाग का दस्तूर भी किया गया था जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति व पंच इत्यादि के समक्ष उसके पक्ष मे रस्म अदायगी की गई थी, गोदनामा भी दिनॉक 13.12.2002 को विधिवत पंजियन कार्यायल कुचामनसिटी में पंजीबद्व किया गया है जो विधि सम्मत है जो कि रूबरू गवाहान के समक्ष किया गया है, इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मिथ्या मनगढ़ंत कथन किये गये जो काबिल खारिज है, प्रार्थीया द्वारा दिनॉक 05.04.2018 को अपनी स्वेच्छा से रूबरू गवाहान के व पंजीयन कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग उत्तरदाता के पक्ष में किया गया है जो विधि सम्मत सही किया गया है जो कि क्रम संख्या 201803471101246 दिनॉक 05.04.2018 को किया गया जो कि उप पंजियक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर पूछताछ करके किया गया है, उत्तरदाता को उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूरा–पूरा हक अधिकार प्राप्त है, प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला उसके पक्ष में बनता ही नही है तथा अपूर्तनीय क्षति प्रार्थीया को किसी प्रकार की नही होने वाली है, प्रार्थना–पत्र मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिसे मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी नकल सम्वत 2070–2073, रजिस्टर्ड गोदनामा 13.12.2002 की प्रति, हक त्याग 05.04.2018 की प्रति प्रस्तुत की है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जमाबन्दी नकल अनुसार ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83 626/148 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में छोटी पत्नी भागीरथ हिस्सा–पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, रजिस्टर्ड गोदनामा दिनॉक 13.12.2002 मुताबिक छोटीदेवी पत्नी भागीरथराम ने अपने जीवनकाल में ही दो स्वतन्त्र गवाहो की मौजूदगी में हीराराम को गोद ले लिया था जिसकी पुष्टि उपरोक्त रजिस्टर्ड गोदनामा से होती है, दिनॉक 05.04.2018 को रजिस्टर्ड हक–त्याग पत्र गोगादेवी पुत्र स्व. भागीरथराम जाट भंवरपुरा द्वारा हीराराम दत्तक पुत्र स्व. भागीरथराम जाट नि. भवंरपुरा के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिससे साफ जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा प्रश्नगत भूमि में अपना हक हिस्सा अप्रार्थी सं. एक के पक्ष में छोड़ दिया है। प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:21:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

द्वारा एक ओर हक त्याग रजिस्टर्ड दिनॉक 05.04.2018 को अप्रार्थी हीराराम के पक्ष में किया जाना तथा दिनॉक 12.04.2018 को इस न्यायालय में वाद एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अप्रार्थी हीराराम के विरूद्व प्रस्तुत करना इस बाबत को दर्शाता है कि प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना–पत्र मनगढ़ंत तथ्यो एवं बदनीयति पूर्ण किया गया है, एक ओर तो अप्रार्थी हीराराम को हक त्याग पत्र में वारिसनामा अंकित कर अपना भाई मान रही है एवं दूसरी ओर उसी के विरूद्व स्थगन प्रार्थना–पत्र एवं वाद प्रस्तुत कर रही है जो न्यायिक सिद्वांतो के विपरित है, प्रार्थीया द्वारा जब अपना हक हिस्सा ही अपने भाई हीराराम के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हक–त्याग द्वारा निष्पादित कर दिया है तो प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीय के पक्ष में किसी भी दृष्टि से साबित नही होते है। इस प्रकार उपलब्ध सभी दस्तावेजात इत्यादि से प्रार्थीया अपना प्रार्थना–पत्र साबित करने में असफल रही है, अतः प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अ.धा. 212 राज.काश्त.अधि. 1955 काबिल खारिज योग्य है।

## आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया साबित नही होने से खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनॉक 12.04.2018 खारिज किया जाता है

आदेश आज दिनॉक 12.3.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:21:36 IST
Reason: SelfAttested